



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना अमृतपुर
दिनांक :- 31.08.2023

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 64/2023 में वाँछित अभियुक्तगण 1. ग्रीश उर्फ हरिनन्दन पुत्र रामपाल सिंह 2. अनमोल पुत्र ग्रीश सिंह निवासीगण ग्राम हरसिंहपुर गहलवार थाना अमृतपुर को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रविन्द्रनाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0-64/2023 धारा 386 /504 /506 /447 /454 थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ में वाँछित अभियुक्तगण 1.ग्रीश उर्फ हरिनन्दन पुत्र रामपाल सिंह 2.अनमोल पुत्र ग्रीश सिंह निवासीगण ग्राम हरसिंहपुर गहलवार थाना अमृतपुर को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अभियुक्त ग्रीश उर्फ हरिनन्दन पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम हरसिंहपुर गहलवार थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
2. अभियुक्त अनमोल पुत्र ग्रीश सिंह निवासी ग्राम हरसिंहपुर गहलवार थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

1.अभियुक्त ग्रीश उर्फ हरिनन्दन का आपराधिक इतिहास: -

1. मु0अ0सं0- 16/1992 धारा 498/366/368/376 IPC थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0- 92/1998 धारा 39/40 विधुत एकट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0- 229/1999 धारा 353/504/506 IPC थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0सं0- 235/1999 धारा 420/307/323/504/506 IPC व 3(1) ध SC/ST एकट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
5. मु0अ0सं0- 221/1999 धारा 110 G सीआरपीसी थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
6. मु0अ0सं0- 242/1999 धारा 3/4 गुण्डा एकट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
7. मु0अ0सं0 - 84/2002 धारा 3/4 गुण्डा एकट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
8. मु0अ0सं0- 122/2004 110 G सीआरपीसी थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
9. मु0अ0सं0- 261/2005 3/4 गुण्डा एकट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
10. मु0अ0सं0- 59/2007 110 G सीआरपीसी थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
11. मु0अ0सं0- 03/2009 धारा 384/5041/506 IPC थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
12. मु0अ0सं0- 487/2009 धारा 3/4 गुण्डा एकट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
13. मु0अ0सं0- 100/12 धारा 3/4 गुण्डा एकट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
14. NCR- 14/2005 धारा 323/504 IPC थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
15. मु0अ0सं- 64/2023 धारा 386/504/506/447/454 थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

2.अभियुक्त अनमोल पुत्र ग्रीश सिंह का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 64/2023 धारा 386/504/506/447/454 भादवि

गिरफ्तार करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्त प्रकाश
2. उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह
3. का0 मनीष कुमार
4. का0 नवीन कुमार
5. महिला का0 नेमवती

मीडिया सेल फतेहगढ़



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – बल्वा ड्रिल

दिनांक :- 31.08.2023

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ द्वारा प्रत्येक माह के प्रत्येक शुक्रवार को बल्वा ड्रिल कराने की नयी प्रणाली की शुरुआत की गयी है। इस बल्वा ड्रिल में सभी थानों के प्रभारी एवं सभी कर्मचारी को एन्टीराइट गन/टियर गैस गन से स्मोक सेल लांग रेंज/शार्ट रेंज, स्टेन सेल, डाइमाइकर सेल को चलवाया जाता है, तथा सभी अधिकारी/कर्मचारीगण अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के स्टेन ग्रेनेड/स्मोक ग्रेनेड/डाइमाइकर ग्रेनेट इत्यादि फायर करते हैं। इसके साथ-साथ प्लेनेट गन के माध्यम से खर बुलेट का भी अभ्यास करवाया जाता है, यह कार्यवाही विगत दो माह से चली आ रही है, इस बल्वा ड्रिल से सभी कर्मचारी आत्मविश्वास से ओतप्रोत हैं, सभी अधिकारी/कर्मचारीगणों की व्यवसाहिक व मानसिक दक्षता में वृद्धि हुई है।



मीडिया सेल फतेहगढ़







